ए.

राजस्थान राज्य बनाम

लीला राम @लीला धर (2013 की आपराधिक अपील संख्या 1441) 13 दिसंबर, 2018

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:s.304 भाग II-एस के तहत प्रतिवादी की सजा।302 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने एस. के तहत उनकी दोषसिद्धि को संशोधित कर एक कर दिया।304 भाग 2-अभियोजन मामला यह था कि प्रत्यर्थी सहित तीन व्यक्तियों ने पीड़ित-मृतक पर हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं-प्रत्यर्थी ने मृतक की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हुई-अभियुक्त व्यक्तियों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया-निचली अदालत ने प्रत्यर्थी को पीडब्लू-1 से पीडब्लू-4 के बयानों, चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यर्थी के कहने पर खून से सना कुल्हाड़ी की बरामदगी के आधार पर दोषी ठहराया, जबकि अन्य दो व्यक्तियों को बरी कर दिया-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसे एस के तहत अपराध का दोषी ठहराया।304 भाग 2-राज्य की अपील-आयोजितःअभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य इस प्रभाव के लिए था कि प्रतिवादी चोट का लेखक था और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु तत्काल और प्राकृतिक कारण थी-पीडब्लू-4 एक घायल चश्मदीद गवाह था और इसलिए, उसकी उपस्थिति सभी उचित संदेह से परे स्थापित की गई थी-मृतक को जो चोट लगी थी वह [एस के अर्थ के भीतर थी।300 (चौथा)] ऐसी प्रकृति का कि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता था कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो-ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत था और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत था-एस के तहत निचली अदालत द्वारा प्रतिवादी को दोषी ठहराना।302 पुनर्स्थापित किया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

अभिनिर्धारित किया कि **1.** पीडब्लू**-2,** जो शिकायतकर्ता है**,** ने घटना की उत्पत्ति के बारे में गवाही दी है।उनके अनुसार**,** मृतक को प्रतिवादी **(**दोनों सह**-**अभियुक्तों के साथ**)** ने पकड़ लिया था।प्रतिवादी ने मृतक की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से वार किया।प्रतिवादी की संलिप्तता पर पीडब्लू**-2** का साक्ष्य पाया गया

एच.

621 ए.

622 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 13 एस. सी. आर.

पीडब्लू**-1,** पीडब्लू**-2,** पीडब्लू**-3** और पीडब्लू**-4** के निक्षेपण में प्रचुर मात्रा में पुष्टि।पीडब्लू**-4** एक घायल चश्मदीद गवाह था।इस प्रकार उनकी उपस्थिति किसी भी घटना में सभी उचित संदेह से परे स्थापित की गई थी।चिकित्सा साक्ष्य के साथ इन गवाहों के साक्ष्य से यह सामने आया कि प्रतिवादी ने मृतक की खोपड़ी के बीच में कुल्हाड़ी से प्रहार किया था।पीडब्लू**-5** के साक्ष्य यह इंगित करने में स्पष्ट थे कि चोट एक तेज धार वाले हथियार की मदद से लगी थी। पीडब्लू**-5** ने यह भी कहा कि कपाल और रीढ़ की हड्डी और पार्श्विका की हड्डी टूट गई थी। खोपड़ी पर चोट लगने से कोमा हो गया और यह मृत्यु का कारण बना।इन परिस्थितियों के साथ अपराध के हथियार की बरामदगी हुई जो खून से सना हुआ पाया गया था।**[**पैरा **11] [626-**जी**-**एच**; 627-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

2. उच्च न्यायालय ने यह राय देते हुए पूरी तरह से अनुमान के आधार पर कार्रवाई की कि मृत्यु पूर्व**-**ध्यान के बिना और पल भर में हुई थी।उस निष्कर्ष पर पहुंचने में**,** उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य की अनदेखी की है**,** जो घटना की प्रकृति**,** इस सुसंगत खाते पर आधारित है कि यह प्रतिवादी था जिसने प्रहार किया था**,** अपराध का हथियार और शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा जिस पर चोट लगाई गई थी।यह तथ्य कि सह**-**अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था**,** सभी चश्मदीद गवाहों की गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था**,** जिसमें प्रतिवादी को फंसाया गया था।घटना के दौरान प्रतिवादी द्वारा मृतक पर हमले के कारण मौत हुई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए**,** यह स्पष्ट है कि मृतक को जो चोट लगी थी वह **[**धारा **300 (**चौथी**)** के अर्थ के भीतर**]** ऐसी प्रकृति की थी कि इस कृत्य को करने वाला व्यक्ति जानता था कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।अपवाद **4** के तहत**,** यदि उस प्रावधान में निहित शर्तों को पूरा किया जाता है तो गैर**-**इरादतन हत्या हत्या नहीं है।वे इस प्रकार हैं**:(i)** यह कि कार्य पूर्व**-**ध्यान के बिना किया गया था**; (ii)** अचानक लड़ाई हुई**; (iii)** कार्य अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में होना

चाहिए**;** और **(iv)** अपराधी को अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए था या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए था।मृतक निहत्थे था जब उसे प्रतिवादी द्वारा पकड़ लिया गया और उस पर हमला किया गया।इन परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत था और अभिलेख पर साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत था।ए द्वारा प्रत्यर्थी का दोषसिद्धि

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

623

स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम लीला राम @लीला धर ए

दंड संहिता की धारा **307** के तहत निचली अदालत को बहाल कर दिया गया है।**[**पैरा **13,15-18] [633-E-G; 634-B-F]**

महेश बाल्मीकि बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2000) 1** एस**.** सी**.** सी**. 319;** हुकुम चंद बनाम हरियाणा राज्य **(2002) 8** एस**.** सी**.** सी**. 421:**

[2002] 3 पूरक।एस. सी. आर. 202; धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य (2003) 9 एस. सी. सी. 322:[2003] 1

बी.

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 754;** पुलिचेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

(2006) 11 एससीसी **444:[2006] 4** पूरक।एससीआर **633;**

सिंगापागु अंजैया बनाम स्टेट ऑफ एपी **(2010) 9** एससीसी **799:[2010] 7** एस**.** सी**.** आर**. 703;** सोम राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **(2013) 14**

एससीसी **246:[2013] 4** एस**.** सी**.** आर**. 433-**केस लॉ रेफरेंस पर निर्भर

सी.

(2000) 1 एस**.** सी**.** सी**. 319**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[2002] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर **202** पर निर्भर

पैरा **12**

[2003] 1 पूरक।एससीआर **754** पर भरोसा किया गया

पैरा **12**

डी.

[2006] 4 पूरक।एससीआर **633** पर भरोसा किया गया

पैरा **12**

[2010] 7 एससीआर **703**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

[2013] 4 एससीआर **433**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2013 की आपराधिक अपील संख्या 1441।

ई.

2005 के डी. बी. आपराधिक आवेदन सं. 580 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।सुश्री रुचि कोहली, अमित शर्मा, सुश्री निधि जसवाल, सुश्री सृष्टि मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एफ.

हर्ष जैन, अभिनव गुप्ता, सुश्री अंकिता गुप्ता, अभिनव देशवाल, शैलेंद्र शर्मा (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1. यह अपील राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 13 अगस्त 2008 के फैसले से उत्पन्न होती है।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता ('दंड संहिता') की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराया।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को उस अवधि की सजा सुनाई जो पहले ही बीत चुकी थी, जिसे लगभग पाँच साल और पाँच महीने बताया गया था।राज्य इस फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है।

जी.

एच.

624

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 13 एस सी आर।

2. सत्य नारायणस्वामी (पीडब्लू-2) द्वारा सिंघाना (राजस्थान) में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 27 फरवरी 2003 को शाम लगभग 6:30 बजे, मृतक-राम कुमार स्वामी-एक चक्की में किसी काम के लिए जा रहे थे।जब वह श्रीराम स्वामी के घर के पास हैंडपंप से गुजर रहा था, तब तीन व्यक्तियों-राजेश, जगदीश और लीला राम (यहाँ प्रतिवादी) ने मृतक पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि प्रतिवादी ने मृतक की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई जो मौत का कारण थी।राजेश, जगदीश और प्रतिवादी पर दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 341,323,336 और 302 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से पीडब्लू-1 बसंती देवी, शिकायतकर्ता पीडब्लू-2 सत्य नारायण स्वामी, पीडब्लू-3 नाथू राम और पीडब्लू-4 ग्यारसिलाल के साक्ष्य पर आधारित था। पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 सभी इस घटना के चश्मदीद गवाह थे।पीडब्लू-4 भी एक घायल गवाह है।

बी.

सी.

3. मृत्यु का कारण, जैसा कि पीडब्लू-5 डॉ. हरि सिंह गोथवाल ने बयान दिया है, मृतक की खोपड़ी पर लगी चोट थी।पोस्टमॉर्टम करते समय पीडब्लू-5 ने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोट देखीः

डी.

"चोट संख्या **1:-** खोपड़ी के बीच में हड्डी की गहराई में **10** सेमी **x 0.5** सेमी **x** चोट को कुचलें।इस चोट के कारण बाईं आंख बंद हो गई थी।चोट तेज धार वाले हथियार की मदद से लगी थी।चोट छह घंटे की अवधि के भीतर लगी थी।**"**

ई.

4. पीडब्लू-4 ग्यारसिलाल को भी निम्नलिखित चोटें आई थींः

"(1) बाईं जांघ के निचले क्षेत्र में **5x3** सेमी संदूषण।

(2) दाहिने अग्र**-**भुजा के निचले क्षेत्र में घर्षण और विकृति **1x 0.5** सेमी।**"**

एफ.

5. ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के बयानों पर विश्वास किया।पीडब्लू-2 के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए, निचली अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपनी जमीन पर कब्जा करने के इरादे से अपने भाई पर हमला किया था।उपरोक्त सभी चश्मदीद गवाहों ने कहा कि प्रतिवादी-लीला राम ने मृतक की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था।पीडब्लू-5 ने कहा कि खोपड़ी पर लगी चोट मृत्यु का कारण थी और सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।पीडब्लू-1 से पीडब्लू-4 के नेत्र साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य और पीडब्लू-5 के बयान के अलावा, अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के कहने पर खून से सना कुल्हाड़ी की बरामदगी पर भरोसा किया।कुल्हाड़ी बरामद की गई ए

जी.

एच.

625

राजस्थान राज्य बनाम लीला राम @लीला धर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

वीडियो सीज़र मेमो एक्श। पी-18।निचली अदालत ने लीला राम को दंड संहिता की धारा 341,323 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।हालाँकि, उन्हें धारा 336 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था।राजेश और जगदीश को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।

6. प्रतिवादी द्वारा दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील No.580/2005 दायर की गई थी।शिकायतकर्ता द्वारा दो सह-अभियुक्तों को बरी करने के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका No.958/2005 के रूप में एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया था।

बी.

7. उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त 2008 के अपने फैसले में प्रतिवादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के तहत अपराध का दोषी ठहराया।इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों को स्वीकार किया, जो उसके विचार में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सामने आईः

सी.

“(i) अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम है कि अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर कुंद वस्तु से चोट पहुंचाई है।**((ii)** अपीलार्थी के सिर पर लगी चोट को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पुष्टि मिलती है।

डी.

(iii) मृत्यु बिना पूर्व-चिंतन के हुई थी और अपीलार्थी ने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था।ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना पल भर में हुई थी।अचानक कुछ भड़क उठा और अपीलार्थी ने राम कुमार के सिर पर एक बार भी प्रहार किया।

ई.

((iv) यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि सह-अभियुक्त राजेश कुमार और जगदीश प्रसाद ने अपीलार्थी के साथ समान इरादे साझा किए थे।**”**

8. शिकायतकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया।

एफ.

9. उच्च न्यायालय के फैसले पर जोर देते हुए, राजस्थान राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि:

(i) चार चश्मदीद गवाहों-पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के सुसंगत विवरण से संकेत मिलता है कि यह प्रतिवादी था जिसने मृतक के शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से, अर्थात् उसकी खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई थी।

जी.

(ii) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू-5 के बयान के रूप में चिकित्सा साक्ष्य संदेह से परे स्थापित करता है कि मृत्यु एक तेज धार वाले हथियार के कारण लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई थी; और

एच.

(iii) यह तथ्य कि चोट कुल्हाड़ी के कारण हुई थी, इसकी पुष्टि जब्ती ज्ञापन Exh.P-18 और एफ. एस. एल. रिपोर्ट द्वारा की गई है जिसमें कुल्हाड़ी पर खून के धब्बों की सूचना दी गई है।

विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दुर्घटना पूर्व-ध्यान के बिना हुई थी, ताकि मामले को दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के भीतर लाया जा सके, किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है।इसके विपरीत, साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि प्रतिवादी एक घातक हथियार से लैस था जिसका उपयोग मृतक के शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोट पहुँचाने के लिए किया गया था।विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि केवल यह तथ्य कि एक भी झटका लगा था, ऐसी परिस्थिति नहीं है जो धारा 304 भाग-II के तहत

धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को एक में बदलने की गारंटी देती है। इसके विपरीत, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला धारा 300 (चौथा) के तहत आएगा क्योंकि प्रतिवादी का कार्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।

बी.

सी.

डी.

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील ने कहा कि दो सह-अभियुक्तों-राजेश और जगदीश के संबंध में निचली अदालत द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास किया गया है।इस निवेदन के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने इस आशय का सबूत पेश करने की मांग की थी कि घटना के दौरान दोनों सह-अभियुक्तों द्वारा लाठी का इस्तेमाल किया गया था।इसे निचली अदालत ने स्वीकार नहीं किया था।इसलिए, पीडब्लू-5 के साक्ष्य पर जोर दिया गया कि चोट किसी कुंद वस्तु के कारण हुई हो सकती है।304 भाग-2 के तहत प्रत्यर्थी को दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का आकलन करने में, जहां तक प्रत्यर्थी की मिलीभुगत का संबंध है, उन चार चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का विज्ञापन करना आवश्यक होगा, जिन पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा विश्वास किया गया है।पीडब्लू-2, जो शिकायतकर्ता है, ने घटना की उत्पत्ति के बारे में गवाही दी है।उनके अनुसार, जब मृतक श्री राम स्वामी के घर से गुजर रहा था, तो उसे प्रतिवादी (दोनों सह-अभियुक्तों के साथ) ने पकड़ लिया।प्रत्यर्थी लीला राम ने मृतक की खोपड़ी पर कुल्हाड़ी से वार किया।प्रतिवादी की संलिप्तता पर पीडब्लू-2 के साक्ष्य से पीडब्लू-1 बसंती देवी, शिकायतकर्ता पीडब्लू-2 सत्य नारायण स्वामी, पीडब्लू-3 नाथू राम और पीडब्लू-4 ग्यारसी लाल के बयान में प्रचुर पुष्टि मिलती है।

जी.

एच.

पीडब्लू-4, एक घायल चश्मदीद गवाह है।इसलिए उनकी उपस्थिति किसी भी घटना में सभी उचित संदेह से परे स्थापित होती है।चिकित्सा साक्ष्य के साथ इन गवाहों के साक्ष्य से यह सामने

आया है कि प्रतिवादी ने मृतक की खोपड़ी के केंद्र में कुल्हाड़ी से प्रहार किया था।पीडब्लू-5 के साक्ष्य यह इंगित करने में स्पष्ट थे कि चोट एक तेज धार वाले हथियार की मदद से लगी थी। पीडब्लू-5 ने यह भी कहा कि कपाल और रीढ़ की हड्डी और पार्श्विका की हड्डी टूट गई थी। खोपड़ी पर चोट, कोमा की ओर ले जाती है और मृत्यु का कारण बनती है।इन परिस्थितियों के साथ अपराध के हथियार की बरामदगी है जो खून से सना हुआ पाया गया था।इस निर्विवाद साक्ष्य के आधार पर, यह स्पष्ट है किः(i) मृत्यु कुल्हाड़ी के उपयोग से मृतक की खोपड़ी पर लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई थी; और (ii) प्रतिवादी चोट का लेखक था और कुल्हाड़ी चलाता था, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु तत्काल और प्राकृतिक कारण थी।

बी.

सी.

12. महेश बाल्मिकी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1 में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कि क्या मृतक की छाती पर चाकू से एक भी प्रहार धारा 303 को आकर्षित करेगा, इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

“9. ... ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि एकल प्रहार के सभी मामलों में आई. पी. सी. की धारा 303 आकर्षित नहीं होती है।एक भी झटका, कुछ मामलों में, आई. पी. सी. की धारा 304 के तहत और कुछ अन्य मामलों में आई. पी. सी. की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। अपराध की प्रकृति के संबंध में प्रश्न का निर्धारण तथ्यों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।चोट की प्रकृति, चाहे वह शरीर के महत्वपूर्ण या गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर हो, उपयोग किया गया हथियार, जिन परिस्थितियों में चोट लगी है और जिस तरह से चोट लगी है, वे सभी प्रासंगिक कारक हैं जो अपराधी और उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में आवश्यक इरादे या ज्ञान को निर्धारित करने के लिए जा सकते हैं।तत्काल मामले में, मृतक को खुद को बचाने से अक्षम कर दिया गया था क्योंकि उसे अपीलार्थी के सहयोगियों द्वारा पकड़ लिया गया था, जिन्होंने ऊपर उल्लिखित विवरण का एक भी लेकिन घातक प्रहार किया था।ये तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अपीलार्थी का इरादा मृतक को मारने का था।किसी भी स्थिति में, उसे सुरक्षित रूप से इस ज्ञान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उसके द्वारा दिया गया चाकू-प्रहार इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना है।”

ई.

एफ.

जी.

1 (2000) 1 एस. सी. सी. 319

हुकुम चंद बनाम हरियाणा राज्य 2 में, इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार करते हुए कहा कि क्या फरसा से खोपड़ी पर प्रहार करने पर धारा 303 के तहत दोषसिद्धि होगी, इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"15. आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के आह्वान के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर वापस आते हुए, पुलारू बनाम एम. पी. राज्य [1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1023:ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1487], जिसमें के. जयचंद्र रेड्डी, जे., उस समय उनके स्वामी के रूप में थे, ने रिपोर्ट के पैरा 7 में पीठ के लिए बोलते हुए कहाः[एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.1025, पैरा 7]

बी.

"7. यह हमें अपराध की प्रकृति की ओर ले जाता है।तीनों चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि अपीलार्थी ने कृषि उपकरण के साथ केवल एक प्रहार किया है।समय और आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना मुश्किल है कि वह मृतक की मौत का कारण बनना चाहता था, विशेष रूप से जब वह किसी भी घातक हथियार से लैस नहीं था।एक कृषक के रूप में उनके हाथों में एक तबल जरूर रहा होगा और अगर उन परिस्थितियों में उन्होंने एक भी झटका दिया तो आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड 1 या 3 को लागू करके उन्हें दोषी ठहराना मुश्किल है। यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका इरादा उस विशेष चोट का कारण बनना था जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्य से हड्डियां टूट गईं।इसलिए, उसके द्वारा किया गया अपराध आई. पी. सी. की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय गैर इरादतन हत्या के बराबर होगा।

सी.

डी.

ई.

16. हालांकि यह सच है कि केवल एक झटका लगा था, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सा साक्ष्य निश्चित रूप से इंगित करते हैं कि प्रहार की गंभीरता ऐसी थी कि यह मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था।पुलारू [1993 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1023:ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1487] अपीलार्थी ने एक कृषि उपकरण के साथ केवल एक झटका

दिया।यह न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पुलारू एक कृषक था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक की मौत का कारण बनने का कोई इरादा होने का सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि वह किसी भी घातक हथियार से लैस नहीं था।हालाँकि, वर्तमान में स्थिति थोड़ी अलग है।हुकुम चंद घर में थे।उसे बुलाया गया और वह घटनास्थल और घटना स्थल पर एक फरसा के साथ पहुंचा जो हर तरह से एक घातक हथियार है और यह वही फरसा है जिसका उपयोग मृतक के सिर पर मारने के लिए किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वह तुरंत गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई।अपीलार्थी द्वारा स्थापित कहानी, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, घटना को झुठलाती है और इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं माना जा सकता है।उदय को लगी चोटें

एफ.

जी.

एच.

2 (2002) 8 एससीसी 421 ए

629

राजस्थान राज्य बनाम लीला राम @लीला धर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

चंद, मृतक, को एक-दूसरे से जूझते समय संयोग के रूप में नहीं कहा जा सकता है।चोटों की प्रकृति, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, इसे अन्यथा दर्शाती है।यदि ऐसा मामला है जो इस बात का कारण बनता है कि वास्तव में मृतक पर जानबूझकर हमला किया गया था, तो और उस घटना में, एक साधारण सवाल अपने आप में आरोपी की याचिका को नकार देगा, अर्थात्, कि हुकुम चंद अपने हाथ में एक फरसा लेकर घटना स्थल पर क्यों आया था।जब उसे भेजा गया था तो उसके घर से घटना स्थल पर फरसा लाने के तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से इसका उपयोग करने के इरादे को इंगित करता है और इस तरह मृत्यु का कारण बनता है।"

बी.

सी.

धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य 3 में, यह न्यायालय

आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 के घटकों पर चर्चा करते हुए, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

"11. आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्य शामिल हैं।उक्त अपवाद अभियोजन (एस. आई. सी. उकसावे) के मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता।अपवाद एक

ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है।लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत विवेक को कम करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे।अपवाद 1 के रूप में अपवाद 4 में उकसावा है, लेकिन की गई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है।वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई झटका लगा हो, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखता है। एक "अचानक लड़ाई" का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट।तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है।यदि ऐसा था, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा।लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है।अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह नहीं होता

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

3 (2003) 9 एस. सी. सी. 322

इसने गंभीर मोड़ ले लिया है।फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक योद्धा के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है।अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (ए) पूर्व-चिंतन के बिना, (बी) अचानक लड़ाई में, (सी) अपराधियों द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना, और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी।एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" आई. पी. सी. में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं।जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए

कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया था।लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के।किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा।यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है।अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी।यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है।प्रावधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ है "अनुचित लाभ"।”

बी.

सी.

डी.

ई.

पुलिचेरला नागराजू बनाम ए**.** पी**. 4** के राज्य में**,** इस न्यायालय ने निर्णय लेते हुए

क्या कोई मामला 304 भाग II की धारा 304 या 304 भाग I के तहत आता है, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

“29. इसलिए, अदालत को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सावधानी और सावधानी के साथ निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह तय करेगा कि मामला धारा 304 या 304 भाग I या 304 भाग II के तहत आता है या नहीं। कई छोटे या महत्वहीन मामले-किसी फल को तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों के बीच झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या यहां तक कि आपत्तिजनक नज़र आना, विवाद और सामूहिक संघर्षों का कारण बन सकते हैं जो मौतों में परिणत हो सकते हैं।ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं।कोई इरादा नहीं हो सकता है।कोई पूर्वधारणा नहीं हो सकती है।वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है।स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां आरोपी करने का प्रयास करता है

एफ.

जी.

एच.

4 (2006) 11 एससीसी 444 ए

राजस्थान राज्य बनाम लीला राम @लीला धर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

एक मामला सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड से बचें कि मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था।यह सुनिश्चित करना अदालतों का काम है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाए।मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा सकता है:((i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार अभियुक्त द्वारा ले जाया गया था या मौके से उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाकर किया गया था; (iv) चोट पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए गए बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक झगड़े या अचानक लड़ाई के दौरान हुआ था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से हुई थी या क्या कोई पूर्वधारणा थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतक कोई अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा हुआ था, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के उकसावे का कारण; (ix) क्या यह जुनून की गर्मी में था।परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और अलग-अलग मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के सवाल पर प्रकाश डाल सकती हैं।जो भी हो सकता है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

सिंगापाग अंजैया बनाम ए. पी. 5 के राज्य में, इस न्यायालय ने इस सवाल का फैसला करते हुए कि क्या मृतक की खोपड़ी पर कौवे से प्रहार करने से धारा 305 लागू होगी, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

एफ.

“16. हमारी राय में, चूंकि कोई भी अभियुक्त के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकता है, इसलिए उसका इरादा इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के हिस्से और चोटों की प्रकृति से एकत्र किया जाना चाहिए।यहाँ, अपीलार्थी ने अपराध के हथियार के रूप में एक कौवे को चुना था।उन्होंने आगे शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी सिर को उस चोट के लिए चुना है जिससे खोपड़ी के कई फ्रैक्चर हुए थे।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी ने किस बल से हथियार का इस्तेमाल किया था।इन सभी कारकों का संचयी प्रभाव अपरिहार्य रूप से एक और एकमात्र निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अपीलार्थी का इरादा मृतक की मृत्यु का कारण बनना था।”

जी.

सोम राज बनाम एच. पी. 6 राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने इस सवाल का फैसला करते हुए कहा कि क्या दरात से खोपड़ी पर एक भी प्रहार धारा 303 के तहत दोषसिद्धि को आकर्षित करेगा।

" 16.2.डॉ. सुमन सक्सेना (पीडब्लू 4) और डॉ. बी. एम. गुप्ता (पीडब्लू 5) के बयानों से मृतक को हुई चोटों की प्रकृति सामने आई है।इसके अवलोकन से इस बात में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने दरात के तीखे पक्ष को चुना था न कि कुंद पक्ष को।जिस उग्रता के साथ उपरोक्त प्रहार किया गया था, वह इस तथ्य से स्पष्ट रूप से सामने आता है कि प्रहार के परिणामस्वरूप मृतक की खोपड़ी काट दी गई और उसमें एक छेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क के ऊतक उजागर हो गए।जब एक घातक हथियार से एक प्रहार क्रूरता से किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि हमलावर प्रकृति की शारीरिक चोट का कारण बनना चाहता है, जिसे वह इतना आसन्न रूप से खतरनाक जानता है, कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु का कारण बनता है।

बी.

सी.

16.3.जिस स्थान पर अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रहार किया गया था (मृतक के सिर के पीछे), वह भी उसी निष्कर्ष की ओर ले जाता है।

डी.

16.4.यह अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला नहीं है कि यह घटना अचानक हुए झगड़े से हुई थी। यह भी उनका मामला नहीं है कि झटका पल की गर्मी में लगा था।यह उनका मामला भी नहीं है कि उन्होंने मृतक के हाथों उकसावे के परिणामस्वरूप जवाबी कार्रवाई की थी।इसलिए उनके पास इस तरह के चरम कृत्य के लिए कोई बहाना नहीं है।

ई.

16.5.एक अन्य भौतिक तथ्य पक्षों के बीच संबंध है।अपीलार्थी-अभियुक्त मृतक का चाचा था। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी-अभियुक्त के इरादे और ज्ञान पर संदेह करने का शायद ही कोई कारण हो।

एफ.

16.6.उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अलावा, तत्काल घटना को उस घटना के रूप में मानना गलत होगा जिसमें आरोपी द्वारा एक भी प्रहार किया गया था।घटना के कम से कम पाँच गवाहों ने एक स्वर में कहा है कि अपीलार्थी-अभियुक्त मृतक पर दूसरा प्रहार करने की प्रक्रिया में था, जब उन्होंने उसे पकड़ लिया, तो उनमें से एक (मोहिंदर सिंह, पीडब्लू 6) ने अपीलार्थी-अभियुक्त से दरात छीन ली और उसे फेंक दिया।ऐसी स्थिति में इलाज/निर्धारण करना अनुचित होगा।

जी.

6 (2013) 14 एससीसी 246 ए

एच.

633

राजस्थान राज्य बनाम लीला राम @लीला धर [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

अपीलार्थी-अभियुक्त की यह मानकर दोषसिद्धि कि उसने मृतक को केवल एक चोट पहुँचाई थी।

16.7.प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील (जो ऊपर निकाले गए हैं) द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के तहत "गैर इरादतन हत्या" का अपराध करने वाला माना जाना चाहिए, क्योंकि अपीलार्थी-अभियुक्त सोम राज ने ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से दरियादिली की थी, जिसे वह इतना आसन्न रूप से खतरनाक जानता था, कि यह सभी संभावनाओं में सरदारीलाल की मृत्यु का कारण बनेगा। उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज करने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए न्यायोचित रूप से दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी (और चूक में, एक वर्ष की अवधि के लिए और साधारण कारावास से गुजरना)।

बी.

सी.

डी.

17. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल अपील योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।”

13. उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, पूरी तरह से इस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ा है कि मृत्यु पूर्व-ध्यान के बिना और पल भर में हुई थी।उस निष्कर्ष पर पहुंचने में, उच्च न्यायालय ने

स्पष्ट रूप से साक्ष्य की अनदेखी की है, जो घटना की प्रकृति, इस सुसंगत खाते पर आधारित है कि यह प्रतिवादी था जिसने प्रहार किया था, अपराध का हथियार और शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा जिस पर चोट लगाई गई थी।यह तथ्य कि सह-अभियुक्त राजेश और जगदीश को निचली अदालत ने बरी कर दिया है, हमारे विचार में उन सभी चश्मदीद गवाहों की गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जिन्होंने प्रतिवादी को फंसाया था।घटना के दौरान प्रतिवादी द्वारा मृतक पर हमले के कारण मौत हुई थी।मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि मृतक को जो चोट लगी थी, वह [धारा 300 (चौथी) के अर्थ के भीतर] ऐसी प्रकृति की थी कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति जानता था कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।

ई.

एफ.

जी.

14. वर्तमान मामले के तथ्यों को अपवाद 4 के भीतर रखने की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया है कि क्या घटना पूर्व-चिंतन के बिना हुई थी।अपवाद 4 नीचे निकाला गया हैः

एच.

"अपवाद **4.-** दंडनीय हत्या हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व**-**चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया जाता है।**"**

15. अपवाद 4 के तहत, यदि उस प्रावधान में निहित शर्तों को पूरा किया जाता है तो गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं है।वे इस प्रकार हैंः(i) यह कि कार्य पूर्व-ध्यान के बिना किया गया था; (ii) अचानक लड़ाई हुई; (iii) कार्य अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में होना चाहिए; और (iv) अपराधी को अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए था या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए था।

बी.

सी.

16. जबकि प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत प्रतिवादी के बयान पर भरोसा करने की मांग की, कि यह मृतक ही था जो

उनके घर आया और पथराव करना शुरू कर दिया, यह स्पष्ट है कि इस बचाव का सबूत में कोई आधार नहीं है।सबसे बढ़कर, मृतक निहत्थे थे जब उन्हें प्रतिवादी द्वारा पकड़ लिया गया और उन पर हमला किया गया।17. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के पूरी तरह से विपरीत है। इस न्यायालय का हस्तक्षेप न्याय की पूर्ण विफलता या गर्भपात को रोकने के लिए आवश्यक है। 18. हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए, दंड संहिता की धारा 307 के तहत निचली अदालत द्वारा प्रतिवादी की दोषसिद्धि को बहाल करते हैं।प्रतिवादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।प्रत्यर्थी तुरंत अपनी सजा के प्रति समर्पण करेगा।इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

डी.

ई.

एफ.

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.